संख्या-103/2020/2503/छप्पन-2020-43/2015

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2020

विषय: राजकीय अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकाप्टर में लगे Computer IDS, Part No.109-0900-76-6A01, Qty. 01 का AOG आधार पर क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-433/CADUP/ENG(PUR)/UPL/10/2020 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकॉप्टर को दिनांक 22.12.2020 को ARC Renewal Test Flight के लिए पायलट द्वारा उड़ान करने से पूर्व Pilot checklist के अनुसार सिस्टम चेक करते समय अचानक नोटिस किया गया कि 'Channel A is not displaying'. सम्बन्धित पायलट द्वारा इस snag को FRB में उल्लिखित किया गया एवं तत्पश्चात् Snag-rectification होने तक हेलीकाप्टर उड़ान योग्य नहीं रहा। उक्त के सम्बन्ध में हेलीकाप्टर निर्माता के टेक्निकल सपोर्ट से भी ईमेल के माध्यम से सम्पर्क किया गया। निर्माता द्वारा ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया कि Computer IDS में खराबी आ जाने के कारण इसे बदलना आवश्यक है। यह एक on condition कम्पोनेन्ट है और खराब होने की दशा में बदला जाना होता है। अतः एक नया Computer IDS, Part No.109-0900-76-6A01, Qty. 01 क्रय किया जाना है। अत: श्री राज्यपाल अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकाप्टर में लगे Computer IDS, Part No.109-0900-76-6A01, Qty. 01 का क्रय हेलीकाप्टर निर्माता फर्म M/s. Leonardo Malaysia Sdn. Bhd., Malaysia से क्रय बजटरी कोट के आधार पर यू.एस. डालर 1,36,071.97 जो रूपये 78.00 प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में रूपये 1,06,13,613/- (रूपये एक करोड़ छ: लाख तेरह हजार छ: सौ तेरह मात्र) धनराशि के अग्रिम भुगतान फर्म को निदेशालय के बचत खाता संख्या-32690267244 के माध्यम से फर्म को किये जाने तथा पुर्जा के आयात पर होने वाले आनुषंगिक व्यय जैसे फ्रेट, ड्यूटी, जी.एस.टी. आदि हेतु मेसर्स सी जी लाजिस्टिक्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान के लिए लगभग रूपये 38,51,480/- (रूपये अड़तीस लाख इक्यावन हजार चार सौ अस्सी मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रूपए 1,44,65,093/- (रूपये एक करोड़ चौवालीस लाख पैंसठ हजार तिरान्नबे मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकड़ों में किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

11- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व ''लेखा लेखाशीर्षक – 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-1369/दस-2020 दिनांक: 29 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या: 103/2020/2503(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।